



कैदियों का UIDAI नामांकन

प्रलिस के लिये:

CAG, UIDAI, आधार अधिनियम 2016

मेन्स के लिये:

आधार और संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियां और हस्तकषेप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में देश भर में जेल कैदियों को नामांकित करने के लिये एक वशिष उपाय के रूप में **भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण (UIDAI)** कैदी प्रेरण दस्तावेज़ (PID) को आधार के नामांकन या अद्यतन के लिये एक वैध दस्तावेज़ के रूप में को स्वीकार करने के लिये सहमत हो गया है।

- हालाँकि कैदियों को आधार सुवधि देने का अभियान 2017 में शुरू किया गया था, लेकिन यह प्रक्रिया उम्मीद के मुताबकि आगे नहीं बढ़ी क्योंकि योजना हेतु नामांकन के लिये UIDAI द्वारा निर्धारित वैध सहायक दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है।

भारतीय वशिषिट पहचान प्राधकिरण:

- सांवधिकि प्राधकिरण:** UIDAI 12 जुलाई, 2016 को आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए 'इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय' के अधिकार कषेत्र में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिकि प्राधकिरण है।
 - UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्त्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।
- जनादेश:** UIDAI को भारत के सभी नविसयियों को एक 12-अंकीय वशिषिट पहचान (UID) संख्या (आधार) प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।
 - देश में समग्र आधार संतृप्तिस्र 93% को पार कर गया है, और वयस्क आबादी के मामले में यह लगभग 100% है।

आधार का महत्त्व:

- पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देना:** आधार नंबर ऑनलाइन एवं कफियाती तरीके से सत्यापन योग्य है।
 - यह डुप्लीकेट और नकली पहचान को खत्म करने में अद्वितीय है तथा इसका उपयोग कई सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु किया जाता है जिससे पारदर्शिता एवं सुशासन को बढ़ावा मिलता है।
- नचिले स्तर तक मदद:** आधार ने बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को पहचान प्रदान की है जिनकी पहले कोई पहचान नहीं थी।
 - इसका उपयोग कई प्रकार की सेवाओं में किया गया है तथा इसने **वत्तितीय समावेशन**, ब्रॉडबैंड और दूरसंचार सेवाओं, नागरिकों के बैंक खाते में **प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण** में पारदर्शिता लाने में मदद की है।
- तटस्थ:** आधार संख्या किसी भी जाती, धर्म, आय, स्वास्थ्य और भूगोल के आधार पर लोगों को वर्गीकृत नहीं करती है।
 - आधार संख्या पहचान का प्रमाण है, हालाँकि आधार संख्या इसके धारक को नागरिकता या अधवास का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।
- जन-केंद्रित शासन:** आधार सामाजिक और वत्तितीय समावेशन, सार्वजनिक कषेत्र की सुवधियों तक पहुँच में सुधारों, वत्तितीय बजटों के प्रबंधन, सुवधि बढ़ाने और समस्या मुक्त जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिये एक रणनीतिक नीति उपकरण है।
- स्थायी वत्तितीय पता:** आधार को स्थायी वत्तितीय पते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यह समाज के वंचित और कमज़ोर वर्गों के वत्तितीय समावेशन की सुवधि प्रदान करता है, अतः न्याय और समानता का एक उपकरण है।
 - इस प्रकार आधार पहचान मंच '**डजिटल इंडिया**' के प्रमुख स्तंभों में से एक है।

आधार से संबंधित चर्चाएँ:

- आधार डेटा का दुरुपयोग:**
 - देश में कई नजिी संस्थाएँ आधार कार्ड पर ज़ोर देती हैं और उपयोगकर्त्ता अक्सर वविरण साझा करते हैं।

- इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि ये संस्थाएँ कैसे इन डेटा को सुरक्षित रखती हैं।
- हाल ही में [कोविड-19](#) परीक्षण के साथ, कई लोगों ने देखा होगा कि अधिकांश प्रयोगशालाएँ आधार कार्ड के डेटा पर जोर देती हैं, जिसमें एक फोटोकॉपी भी शामिल है।
 - यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि कोविड-19 परीक्षण करवाने के लिये इसे साझा करना अनिवार्य नहीं है।
- **ज़बरन थोपना:**
 - वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि आधार प्रमाणीकरण को केवल [भारत के समेकित कोष](#) से भुगतान किये गए लाभों के लिये अनिवार्य बनाया जा सकता है और आधार के वफिल होने पर पहचान सत्यापन के वैकल्पिक साधन हमेशा प्रदान किये जाने चाहिये।
 - बच्चों को छूट दी गई थी लेकिन ऑनलाइन सेवाओं या स्कूल में नामांकन जैसे बुनियादी अधिकारों के लिये बच्चों से नयिमति रूप से आधार की मांग की जाती रही है।
- **मनमाना बहिष्करण:**
 - केंद्र और राज्य सरकारों ने आधार के साथ कल्याणकारी लाभों के जुड़ाव को लागू करने के लिये "[अल्टीमेटम पद्धति](#)" का नयिमति उपयोग किया है।
 - इस पद्धति में यदि प्राप्तकर्ता सही समय में लकैज नरिदेशों का पालन करने में वफिल रहता है, जैसे कि अपने जॉब कार्ड, राशन कार्ड या बैंक खाते को आधार से लकै करने में वफिल होने पर लाभ को वापस ले लिया जाता है या नलिंबति कर दिया जाता है।
- **धोखाधड़ी-प्रवृत्त आधार-सकषम भुगतान प्रणाली (AePS):**
 - AePS एक ऐसी सुवधि है जो कसिी ऐसे वक्यक्त को सकषम बनाती है जिसके पास आधार से जुड़ा खाता है, वह भारत में कहीं से भी "बज़िनेस कॉरैस्पॉडेंट" के साथ बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पैसे निकाल सकता है- एक तरह का मनी-एटीएम।
 - भ्रष्ट व्यापार कॉरैस्पॉडेंट द्वारा इस सुवधि का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया है।

आगे की राह

- **ज़रूरतमंदों को नरितर लाभ सुनश्चिति करना:**
 - उन नामों का अग्रमि प्रकटीकरण, जनिहें हटाए जाने की संभावना है, साथ ही प्रस्तावति वलिोपन का कारण।
 - प्रभावति लोगों को कारण बताओ नोटसि जारी करना और उन्हें जवाब देने या अपील करने का अवसर (पर्याप्त समय के साथ) प्रदान करना।
 - दनिांक और कारण सहति वलिोपन के सभी मामलों का पूर्व एवं पश्चात प्रकटीकरण।
- **ठोस सुरक्षा उपायों की आवश्यकता:**
 - [भारतीय राषट्रीय भुगतान नगिम \(NPCI\)](#) को आधार-सकषम भुगतान प्रणाली की कमज़ोरियों और बेहतर शकियायत नविवरण सुवधियों के खलिाफ तत्काल ठोस सुरक्षा उपाय करने चाहिये।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न: नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2018)

1. आधार कार्ड का उपयोग नागरकित्ता या अधविस के प्रमाण के रूप में कयिा जा सकता है।
2. एक बार जारी होने के बाद आधार संख्या को जारीकर्त्ता प्राधकिकारी द्वारा समाप्त या छोड़ा नहीं जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

- आधार प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं को नविसयियों की पहचान को सुरक्षति और त्वरति तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणति करने में मदद करता है, जसिसे सेवा वतिरण अधिक लागत प्रभावी एवं कुशल हो जाता है। भारत सरकार और UIDAI के अनुसार आधार नागरकित्ता का प्रमाण नहीं है।
- हालौंकि UIDAI ने आकस्मकित्ताओं का एक सेट भी प्रकाशति कयिा है जो उसके द्वारा जारी आधार अस्वीकृति के लयि उततरदायी है। मशिरति या वषिम बायोमैट्रिक जानकारी वाला आधार नषिक्रयि कयिा जा सकता है। आधार का लगातार तीन वर्षों तक उपयोग न करने पर भी उसे नषिक्रयि कयिा जा सकता है।

[स्रोत: द हदि](#)

